

FROM DIST. TO आदेश

निम्नांकित का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक को उनके नाम सम्मुख अंकित जनपद से 03 वर्ष के लिये राजकीय रेलवे में स्थानान्तरित किया जाता है। का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक की सामान्यतः नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जा रही है तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में उक्त का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक को पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ द्वारा उनके गहन जनपद वापस किया जायेगा। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्यापॉच-1003-2013, दिनांक-28.12.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

क्र० स०	पदनाम	बैज न०	पी०एन०ओ०	कर्म का नाम	गृह जनपद	नियुक्ति का जनपद
1	का० स०पु०	73	942672091	शिवलाल	सुल्तानपुर	शाहजहाँपुर
2	का० स०पु०	—	112622738	अर्जुन यादव	बस्ती	गोण्डा
3	आरक्षी चालक	—	880740586	जयदत्त शर्मा	बुलन्दशहर	मुरादाबाद
4	का० स०पु०	856	112541167	अरविन्द कुमार	मुरादाबाद	बिजनौर
5	हे०का० ना०पु०	379	980651285	रनवीर सिंह	बुलन्दशहर	लखनऊ

(राहुल मिश्रा)

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना

नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना

उ०प्र० पुलिस मुख्यालय

इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या: पांच-1003-2013/15009 दिनांक: दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक को राजकीय रेलवे पुलिस में 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठता क्रम में उनके गहन जनपद को वापस करने की कृपा करें।
- 2— वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बिजनौर एवं गोण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक को राजकीय रेलवे पुलिस हेतु कार्यमुक्त कर प्रस्थान की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ सहित सर्वसंबन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें यदि का० स०पु०, हे०का० ना०पु० एवं आरक्षी चालक अन्यत्र जनपद के लिए स्थानान्तरणाधीन हो तो उसे राजकीय रेलवे पुलिस हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा राजकीय रेलवे पुलिस का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त संबंध में संबंधित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय।

संख्या तथा दिनांक वही—

प्रतिलिपि:—

1— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।